स्पाइसेस बोर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगंध भवन, एन.एच. बाई पास, पी.बी. नं. 2277,
पालारिवट्टम पी.ओ., कोच्ची – 682025
दूरभाष: 0484-2333610 से 616 तक, 2347965
फैक्स: 0484-2341935

<u>स्पाइसेस बोर्ड में परामर्शदाता सहायक(स्थापना एवं इंजिनीयरिंग अनुभाग) के रूप में सेवानिवृत्त सरकारी सोवकों की नियुक्ति</u>

स्पाइसेस बोर्ड अपने मुख्यालय, कोच्ची में एक वर्ष की अवधि के लिए संविदा आधार पर **परामर्शदाता सहायक** के रूप में नियुक्ति के लिए उन सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों, जिन्होंने केंद्रीय/राज्य सरकार विभाग/सार्वजनिक उपक्रम/स्वायत्त निकाय/पण्य निकाय में सेवा की हैं, से आवेदन आमंत्रित करता है । नियुक्ति का विस्तृत निबंधन और शर्तें संलग्नक-I के रूप में संलग्न है। पात्रता मानदंड और अन्य विवरण नीचे दिए गए हैं:

1	अपेक्षित परामर्शदाता सहायक	1 नं. [स्थापना एवं इंजिनीयरिंग अनुभाग]
2	पात्रता अनिवार्य:	I. उसे इंजीनियरिंग/निर्माण/रखरखाव/प्रशासन (स्थापना) में काफी अनुभव के साथ केंद्र/राज्य सरकार की इकाइयों अर्थात् केंद्रीय/राज्य विभागों/सार्वजनिक उपक्रम/स्वायत्त निकायों/पण्य बोर्डों से अनुभाग अधिकारी स्तर [वेतन मैट्रिक्स का स्तर 7] या उससे ऊपर का सेवानिवृत्त कर्मचारी होना चाहिए। । II. उसके पास विषयों की गहन जांच के लिए मजबूत स्वभाव के साथ प्रभावी संचार और अंतरवैयक्तिक कौशल होना चाहिए। III. उसके पास एमएस ऑफिस/ओपन ऑफिस, ईमेल और इंटरनेट के साथ कंप्यूटर का उपयोग करने का अनुभव होना चाहिए।
	वाछनीय:	सिविल इंजीनियरिंग गतिविधियों में संपूर्ण ज्ञान और अनुभव, जैसे सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य अनुमान/प्रस्ताव/माप शीट/बिल आदि तैयार करना।
3	शैक्षिक योग्यता	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि
4	आयु सीमा	जैसा कि आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख को है, 64 वर्ष से अधिक न हो।
5	कार्यभार का स्थान	स्पाइसेस बोर्ड, मुख्यालय, कोच्ची
6	पारिश्रमिक	प्रति माह 30,000/- रु.

7	मुख्य उत्तरदायित्व	I) दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में प्रशासन [स्थापना]/इंजीनियरिंग अनुभाग की सहायता करना ii) सरकारी दिशानिर्देशों/डीएसआर प्रारूप के अनुसार अनुमान/प्रस्ताव/माप शीट/बिल आदि तैयार करना iii) कार्यों के समय पर निष्पादन के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय
8	आवेदन	पात्र उम्मीदवार निम्नलिखित लिंक के माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं - http://spicesboard.in/recruitment/
9	चयन का तरीका	शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को बोर्ड द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार किया जाएगा और बोर्ड की अपेक्षा के अनुसार परामर्शदाता सहायक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। पैनल की वैधता दो वर्ष होगी और यदि परामर्शदाता सहायक की कोई अतिरिक्त अपेक्षा हो, अनुमोदित पैनल से नियुक्त किए जाएंगे।
10	आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	29-12-2023

उम्मीदवारों के लिए अनुदेश:

1. उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन के समय आयु और योग्यता के संबंध में सभी आवश्यक दस्तावेज □पलोड करेंगे। □पलोड किए गए दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
2. आयु, □नुभव और □न्य सभी निर्धारित योग्यताएँ आवेदन जमा करने की □ंतिम तिथि के □नुसार गिनी जाएँगी।
3. स्पाइसेस बोर्ड चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में तारीख और समय को फिर से निर्धारित करने का □धिकार रखता ह□
4. सचिव, स्पाििसेस बोर्ड बिना कोई कारण बताए या नोटिस दिए इस विज्ञापन में संपूर्ण या आंशिक रूप से किसी भी संशोधन, रद्दकरण और परिवर्तन का □धिकार रखता ह□
5. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती ह□कि वे □द्यतन सूचना के लिए बोर्ड की वेबसाइट www. Indianspices.com पर □धिसूचना/□वसर देखें और तीसरे पक्ष की वेबसाइटों की जानकारी पर भरोसा न करें।
6. चयनित उम्मीदवार को 200/- रुपये मूल्य के स्टांप पेपर में एक करार निष्पादित करेगा।

निदेशक (प्रशासन)

स्थान: कोच्ची
तारीख: 08 दिसंबर

संलग्नक-I

स्पाइसेस बोर्ड में संविदा पर परामर्शदाता सहायक (स्थापना एवं इंजिनीयरिंग) की नियुक्ति के लिए निबंधन और शर्त

1. देय पारिश्रमिक 30,000/- रु. (निर्धारित) होगा। परामर्शदाता सहायक का कुल मासिक वेतन और पेंशन महंगाई भत्ते की वर्तमान दर पर गणना किए गए अंतिम आहरित वेतन से अधिक नहीं होगी।
2. नियुक्ति की अवधि प्रारंभ में एक वर्ष के लिए होगी और आवश्यकता के अनुसार और उनके प्रदर्शन के आधार पर एक ओर वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है।
3. परामर्शदाता सहायक, महंगाई भत्ता, परिवहन सुविधा, आवासीय व्यवस्था, निजी स्टाफ, सीजीएचएस त□ा चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि जैसे किसी भी प्रकार के भत्ते या आवास-सुविधा प्राप्त होने के हकदार नहीं होंगे।
4. साक्षात्कार, कार्य में शामिल होने या इसके पूरा होने के लिए कोई यात्रा भत्ता / महंगाई भत्ता ग्राह्य नहीं होगा। फिर भी, यदि बोर्ड के कार्यालयीन काम के सिलसिले में, उन्हें देश के अंदर यात्रा करना अपेक्षित है तो, जिस ग्रेड से वे सेवानिवृत्त हुए □, उसी ग्रेड के नियमित पदाधिकारी केलिए ग्राह्य यात्रा भत्ते/महंगाई भत्ते का, सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, भुगतान किया जाएगा।
5. कार्य समय: परामर्शदाता सहायक निर्धारितानुसार कार्यालय के साधारण कार्य समय का अनुसरण करेगा (अ□ात् सुबह 9.00 बजे से सायं 5.30 बजे तक)। वैसे, अनिवार्य मामलों में, उनको समयबद्ध कार्य को पूरा करने के लिए शनिवार और कार्यालय समय के बाद भी काम करना होगा।
6. पेंशन का आहरण: परामर्शदाता सहायक के रूप में नियुक्त एक सेवानिवृत्त अधिकारी परामर्शदाता सहायक के रूप में के रूप में अपनी नियुक्ति की अवधि के दौरान पेंशन और पेंशन पर महंगाई राहत आहरित करना जारी रखेगा। परामर्शदाता सहायक के रूप में उनकी नियुक्ति को पुनर्नियोजन मामले के रूप में नहीं माना जाएगा।
7. अवकाश: य□ानुपात आधार पर परामर्शदाता सहायक प्रति महीने एक दिन के अवकाश केलिए पात्र होंगे। परामर्शदाता सहायकों को अनुमेय अवकाश की अधिकता में अनुपस्थिति की अवधि केलिए कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा, अनुपयुक्त अवकाश को न अगले वर्ष केलिए अग्रेनीत किया जाएगा, न ही उसका नकदीकरण किया जाएगा।
8. स्रोत पर कर कटौती (टी डी एस): ग्राह्य के अनुसार, टीडीएस को परामर्शदाता सहायक के मासिक पारिश्रमिक से काट दिया जाएगा। मांग करने पर, बोर्ड द्वारा टीडीएस प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
9. परामर्श अवधि के दौरान अधिकारी को समय-समय पर बोर्ड द्वारा सौंपे गए बोर्ड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कार्यों में भाग लेना होगा।

10. स्पाइसेस बोर्ड के सा उनके कार्य की अवधि के दौरान और उसके बाद भी, यह संभावना है कि वे महत्वपूर्ण / गोपनीय प्रकृति की कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वे अपने कार्य की अवधि के दौरान उनके द्वारा एकत्रित की गई कोई भी जानकारी किसी ऐसे व्यक्ति से प्रकट नहीं करेंगे, जो उसे जानने/प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं है।

11. स्पाइसेस बोर्ड, जरूरत पड़ने पर, कोई नोटिस जारी किए बिना या कोई कारण बताए बिना, चयन प्रक्रिया को संशोधित / परिवर्तित / प्रतिबंधित / बढ़ाने / रद्द करने का अधिकार रखता है। बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और इस मुद्दे के खिलाफ किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।

नियुक्ति का समापन:

स्पाइसेस बोर्ड निम्नलिखित स्थितियों में परामर्शदाता सहायक की नियुक्ति समाप्त करेगा:

(क) परामर्शदाता सहायक निर्दिष्ट कार्य करने में असमर्थ है;
(ख) कार्य की गुणवत्ता बोर्ड की संतुष्टि के अनुरूप नहीं है;
(ग) बोर्ड द्वारा तय किए गए अनुसार लक्ष्यों की समय पर उपलब्ध कराने में परामर्शदाता सहायक विफल रहता है
(घ) परामर्शदाता सहायक में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का अभाव पाया जाता है।
(ङ) परामर्शदाता सहायक 65 वर्ष की आयु पूरा करता है।

नोट: बोर्ड के पास परामर्शदाता सहायक को पंद्रह (15) दिनों की लिखित सूचना प्रदान करते हुए नियुक्ति समाप्त करने का अधिकार होगा । यह समाप्ति, ऐसी सूचना के वितरण के पंद्रह (15) दिनों के पूरा होने के बाद ठीक अगले दिन से प्रभावी होगी।

....